बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

महत्त्वपूर्ण

सं0सं0–3 / निदे0–पी0ओ0ए0(प्रा0प0प्र0के0)10–01 / 2022–3444

प्रेषक,

श्याम बिहारी मीणा, (भा0प्र0से0)
निदेशक।

सेवा में,

प्रभारी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी,
पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर,
सारण (छपरा), भोजपुर (आरा), सहरसा, पूर्णिया तथा मुंगेर।

पटना, दिनांकः– 28.06.2023

विषयः–प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन अनुदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के छात्र / छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) प्रदान करने हेतु प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र तथा CAT आदि के तैयारी के लिए चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में Student Guidance Centre संचालित है।

2–प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों एवं चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में Student Guidance Centreके संचालन हेतु समय–समय पर स्वीकृत्यादेश / पत्र निर्गत हैं। जिलों के द्वारा प्रायः विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन का अनुरोध किया जाता रहा है। साथ ही केन्द्रों के संचालन में एकरूपता हेतु एक संचालन अनुदेश की आवश्यकता थी।

3–उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत केन्द्रों के संचालन हेतु पूर्व के निदेशों के अतिरिक्त संचालन अनुदेश निम्नवत निर्धारित किये जाते हैः–

क्र0 सं0	विषय	कार्रवाई हेतु संचालन अनुदेश
1	*2*	*3*
1	बैच का संचालन	प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं जुलाई से 2–2 बैच का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए पूर्व के माह अर्थात क्रमशः दिसम्बर एवं जून माह में प्रशिक्षण कार्य संचालन से संबंधित पूर्ण प्रक्रिया अर्थात् प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन एवं निर्धारित अवधि में आवेदन पत्रों का आमंत्रण तथा विद्यार्थियों के चयन (प्रत्येक बैच में 60 विद्यार्थियों का चयन) हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा विद्यार्थियों के नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
2	केन्द्र में विद्यार्थियों के द्वारा नामांकन लेने के उपरांत लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहना	यदि कोई छात्र / छात्रा केन्द्र के निदेशक को पूर्व सूचना दिये बिना 10 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो वैसी परिस्थिति में उक्त विद्यार्थी का केन्द्र से नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही नामांकन के उपरांत प्रथम 3 सप्ताह में कम से कम 14 दिन केन्द्र में अध्ययन करना छात्र / छात्राओं हेतु अनिवार्य होगा।
3	एक ही विद्यार्थी को केन्द्र में अध्ययन करने की अधिकतम संख्या	एक विद्यार्थी अधिकतम 2 बार प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययन कर सकते है बशर्ते दोनों कोर्स अलग–अलग हो अर्थात् एक पाठ्यक्रम में एक ही बार अध्ययन कर सकेंगे। चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान में विद्यार्थी मात्र एक बार ही अध्ययन कर सकेंगे।

4	विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश में केन्द्र का संचालन	संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन से विशेष अनुरोध किया जाय कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खुला रहे ताकि केन्द्र में पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।
5	केन्द्र में उपलब्ध पुस्तकों एवं समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की सूची को नोटिस बोर्ड/उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करना।	केन्द्र में पुस्तकालय का संधारण किया जाएगा तथा उपलब्ध पुस्तकों एवं समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की सूची को नोटिस बोर्ड/उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों की अभिरूची के अनुसार पुस्तक/समाचार पत्र/ पत्रिकाओं का चयन निदेशक के द्वारा किया जाएगा।
6	केन्द्र में प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन से संबंधित सूचना प्रदर्शित करना।	निदेशक के द्वारा विभिन्न आयोग/बोर्ड एवं अन्य भर्ती परीक्षा आयोजित की जाने एजेंसियों द्वारा विज्ञापित प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में सूचना केन्द्र के सूचनापट पर लगाया जाएगा।
7	जाँच परीक्षा का आयोजन	प्रत्येक केन्द्र में पाक्षिक एवं मासिक जाँच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा परीक्षाफल को नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा।
8	छात्रवृत्ति/ शिक्षकों का पारिश्रमिक/ निदेशक का मानदेय का भुगतान	केन्द्र में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को अनुमान्य मासिक छात्रवृत्ति/ वजीफा का भुगतान 75 प्रतिशत की उपस्थिति रहने पर की जाएगी। छात्रवृत्ति/ वजीफा का भुगतान, अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को निर्धारित पारिश्रमिक एवं निदेशक का मानदेय का भुगतान अगले माह के 3 तारीख तक करने का दायित्व संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा।
9	विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना।	विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण हेतु केन्द्र के निदेशक और जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों/शिक्षकों आदि को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को केन्द्र में आमंत्रित करके अध्ययनरत् विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जाएगा। ताकि छात्र/छात्राओं का मनोबल बढ़ सके।
10	केन्द्र के उपलब्धि का प्रतिवेदन	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत केन्द्र के निदेशक के द्वारा केन्द्र में नामांकित छात्र/छात्राओं की सूची एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची उनके नाम, पता एवं मोबाईल नं0 के साथ अंकित करते हुए प्रतिवेदन विभाग एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
11	केन्द्र का दैनिक प्रतिवेदन	जिला कल्याण कार्यालय द्वारा नामित प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
12	केन्द्र का आधारभूत संरचना	प्रत्येक केन्द्र में स्वच्छ पेयजल हेतु आर0ओ0 का अधिष्ठापन किया जाएगा। छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। केन्द्र में स्मार्ट बोर्ड सेट, वाई0फाई की सुविधा, कम्प्यूटर सेट, पर्याप्त मात्रा में बेंच–डेस्क, मेज एवं कुर्सियां, आलमीरा आदि की व्यवस्था की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त संचालन अनुदेश के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक 28.6.23

ज्ञापांक–3/निदे0–पी0ओ0ए0(प्रा0प0प्र0के0)10–01/2022–3444 पटना, दिनांक– 28.06.2023.

प्रतिलिपि–सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित निदेशक, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रभारी पदाधिकारी, Student Guidance Centre चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 28.6.23

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3 / निदे0(प्रा0प0प्र0के0)10–01 / 2022 1028

प्रेषक,

नवल किशोर, भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी,
पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर,
सारण (छपरा), भोजपुर (आरा), सहरसा, पूर्णियाँ, मुंगेर।

पटना, दिनांकः– 10/03/2023

विषयः–प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं की उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति / वजीफा भुगतान करने हेतु मार्गदर्शन।

प्रसंगः–प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर का पत्रांक–1691 दिनांक–10.12.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। केन्द्र में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति / वजीफा भुगतान करने का प्रावधान है।

2–उल्लेखनीय है कि प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत् स्थानीय विद्यार्थियों को ₹1500 / – प्रतिमाह तथा जिला के बाहर के विद्यार्थियों को ₹3000 / – प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना है। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक माह 75 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–2 के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
10/3/2023
(नवल किशोर)
निदेशक।